

राजस्थान—सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अंतर्गत श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि धुंधाड़ा, ओसिंया, जोधपुर ने आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक — 15.10.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। जिनकी जन्म तिथि 08.07.1962 है।

कार्मिक श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि धुंधाड़ा, ओसिंया, जोधपुर 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं तथा 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करता है। अतः राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक — 15.10.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृति की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि धुंधाड़ा, ओसिंया, जोधपुर के विरुद्ध आज तक —

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम — 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।

2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम—19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

नोटः— सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

(सौरभ स्वामी)
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांकः— 03/09/2020

क्रमांक शिविरा—मा/संस्था/सी—6/राज.विज्ञान/स्वै.से.नि./31901/2019 | ५९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग.....
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
5. संबंधित प्रधानाचार्य.....।
6. कार्मिक श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि धुंधाड़ा, ओसिंया, जोधपुर ।
7. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर ।
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिक श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव के के डीपीसी वर्ष 2015–16 में पदोन्नत कार्मिक (वरि. क्रमांक 480 वरि. अवधि 1995–96) के वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
9. निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर